ायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

त्र संख्या :—305 / 2022 दायर दिनांकः 12.12.2022

CMS NO:- 2022/535 पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती प्रीति मीणा

रामेश्वर आ0 नन्दा जाति गुर्जर नि0 नन्दगांव (लाम्बाबरडा) तहसील नैनवॉ।

— प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल आ0 रामकरण जाति गुर्जर नि0 नन्दगांव (लाम्बाबरडा) तहसील नैनवॉ।
2. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार नैनवॉ जिला बून्दी।

—प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः— अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट
—वास्ते तरमीम दुरूस्ती बाबत्—

उपस्थिति—
प्रार्थी की ओर से वकील श्री रमेश कुमार कहार।

निर्णय दिनांक 30.05.2025

:—निर्णय—:

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम नन्दगांव प.म. लाम्बाबरडा की जमाबंदी संवत् 2052 के खसरा नम्बर 556 मे करीबन 9 बीघा नोनोड फाडकर आबाद की गयी भूमि विरिथत है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम नन्दगांव मे जमाबन्दी संवत्2076—2079 खाता संख्या 104 मे खसरा नम्बर 215, 782 / 556, 864 / 556 कुल किता 3 कुल रकबा 1.9659 हैक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थी के नन्दगांव मे पी—14 जमाबन्दी संवत् 2052 से करीबन 20 वर्षो पूर्व से ही खसरा नम्बर 556 मे रकबा 9 बीघा के लगभग प्रार्थी द्वारा नोतोड फाडकर आबादी की गयी थी जो बदस्तुर काबिज काश्त चली आ रही है और संवत् 2052 के पूर्व से ही लगान (पैनल्टी) जमा कराते आ रहे है। यह कि प्रार्थी को उक्त कब्जेशुदा भूमि के अलावा उक्त खसरा नम्बर 556 मे करीबन 9 बीघा भूमि हमारे साथ ही नोतोड फाडकर आबादी की थी, जो अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन 1987 मे आवंटित की गयी थी, जिस पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुकी है जिसका खसरा नम्बर 782 / 556 रकबा 1.2944 हैक्टयर है परन्तु जब उक्त भूमि की ऑनलाईन तरमीम हुई तो जानकारी मे आया कि उक्त भूमि की तरमीम परिशिष्ट अ मे स्थान अ,ब,स,द के स्थान पर य,र,ल,व स्थान पर हो गयी जो मौका स्थिति के विपरित है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 स्थान य,र,ल,व के स्थान पर काबिज न होकर अ,ब,स,द स्थान पर काबिज है जिसका खसरा नम्बर 556 है। इस कारण प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमिप र की गयी तरमीम को निरस्त करवाकर अप्रार्थी संख्या 1 के वास्तविक काबिज स्थान (मौका स्थिति अनुसार) की तरमीम करवाई जाकर रिकॉर्ड को सही करवाया जाने बाबत् अनेकों प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 को दिया जा चुका है तव अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा बताया गया कि इस प्रकार शुद्व करने का अधिकार केवल माननीय न्यायालय को प्राप्त है इसी कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर की गयी अप्रार्थी के खसरा नम्बर 782 / 556 रकवा 1.2944 हैक्टयर की गलत तरमीम को परिशिष्ट अ के य,र,ल,व के स्थान पर को निरस्त करवाकर अप्रार्थी संख्या 1 के वास्तविक काबिज स्थान अ,ब,स,द स्थान पर तरमीम करवाई जाकर रिकॉर्ड को सही करने व राजस्व नक्शे मे अंकन कर तरमीम दुरूस्ती का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार नैनवां द्वारा पत्रांक :— 1903 दिनांक— 05.5..2025 द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी जिसमे बताया कि ग्राम नन्दगांव के खाता संख्या 1 मे स्थित खसरा नम्बर 925 / 556 रकवा 3.5758 हैक्टयर भूमि सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि नही है। प्रार्थी जिस भूमि की तरमीम शुद्व करवाना चाहता है वह भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे

सिवायचक दर्ज है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि रिकॉर्ड मे प्रस्तावित तरमीम शुद्ध प्रकरण निहित नही है जिससे प्रकरण को खारिज करने की तहसीलदार नैनवॉ द्वारा अभिशंषा की गई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर की गयी अप्रार्थी के खसरा नम्बर 782/556 रकबा 1.2944 हैक्टयर की गलत तरमीम को परिशिष्ट अ के य,र,ल,व के स्थान पर को निरस्त करवाकर अप्रार्थी संख्या 1 के वास्तविक काबिज स्थान अ,ब,स,द स्थान पर तरमीम करवाई जाकर रिकॉर्ड को सही करने व राजस्व नक्शे मे अंकन कर तरमीम दुरूस्ती का आदेश प्रदान करें।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जिस भूमि की तरमीम शुद्ध करवाना चाहता है, वह भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे सिवायचक दर्ज है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि नही है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि रिकॉर्ड मे प्रस्तावित तरमीम शुद्वी प्रकरण मे निहित नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 30.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां